न्यायालय सेशन न्यायाधीश, सिरोही

पीठासीन अधिकारी : **रूपा गुप्ता (DJ Cadre)**
आपराधिक विविध प्रकरण संख्या : 247/2024 (C.I.S No.247/2024)
F.I.R. सं. : 132/2016
अन्तर्गत धारा : 420, 406, 409, 120बी भा.दं.सं.
पुलिस थाना : बरलूट

राजीवरसिंह पुत्र स्वर्गीय रामसिंह उम्र 51 वर्ष निवासी पिलोवणी पुलिस थाना खिवाडा जिला पाली हील आरएचबी कॉलोनी सिरोही पुलिस थाना सिरोही जिला सिरोही

——प्रार्थी/अभियुक्त

वि रू द्ध

राजस्थान राज्य **——अप्रार्थी**

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता

उपस्थिति :
1. श्री बसंतकुमार भाटी, अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त
2. श्री दिनेशकुमार राजपुरोहित, लोक अभियोजक

आदेश

दिनांक : 04.05.2024

1. प्रार्थी/अभियुक्त राजवीरसिंह की ओर से धारा 439 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत जमानत का यह प्रथम प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर नकल प्रार्थना पत्र लोक अभियोजक को दिलायी गई। बहस जमानत दरख्वास्त सुनी गई।

2. योग्य अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है उसने कोई अपराध नहीं किया हैं। उनका तर्क है अभियुक्त विक्रमसिंह के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406, 120बी, 409 भा.दं.सं. में चालान पेश होने पर आरोप सुनाए जा चुके है तथा साक्ष्य अभियोजन हेतु नियत प्रथम तिथि से 60 दिन से ज्यादा समय व्यतीत हो चुका है किंतु विचारण पूर्ण नहीं हुआ है। अतः वह धारा 437(6) द.प्र.सं. के प्रावधानुसार जमानत का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी/अभियुक्त इस प्रकरण में दिनांक 12.03.2018 से अभिरक्षा में है तथा अभी विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी/अभियुक्त को नियमित जमानत का लाभ दिया जावे।

3. योग्य लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का पूरजोर विरोध किया।

4. उपरोक्त पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन

किया।

5. अधीनस्थ पत्रावली के अनुसार हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी / अभियुक्त के विरुद्ध धारा 420, 406, 409 / 120बी भा.दं.सं. के तहत् आरोप पत्र पेश किया गया था और अब तक प्रकरण में 22 गवाहान की साक्ष्य लेखबद्ध की जा चुकी है। **प्रार्थी / अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में भी 13–14 प्रकरण दर्ज होना बताए गए हैं** जिससे प्रार्थी / अभियुक्त धारा 437(6) दं.प्र.सं. के तहत् जमानत का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ऐसे में प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए इस स्टेज पर गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी / अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

6. परिणामतः **प्रार्थी / अभियुक्त राजवीरसिंह** की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. **अस्वीकार कर खारिज** किया जाता है।

(रूपा गुप्ता)
सेशन न्यायाधीश,
सिरोही

7. आदेश आज दिनांक 04.05.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(रूपा गुप्ता)
सेशन न्यायाधीश,
सिरोही

Notes :

1. **Only for reading of advocate.**
2. **Certified copy be taken for all legal purposes.**
3. **Any discrepancy be brought to knowledge for correction as per instructions of web site of e courts.**